2. Representative of Specialist Directorate not below the rank of Squadron Leader or equivalent and unconnected with the Establishment. —Member

3. Deputy Director Personnel (Civilian) (Departmental Promotion Committee Section), Air Headquarters. —Member

14. : Not applicable.

[F. No. Air HQ/23049/D. Man/2/RR/PC-3/47/D (A) 04]

R. K. SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2004

का.नि.आ. 65.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1979 और सेना (आशुलिपिक श्रेणी-II) भर्ती नियम, 1985 को जहां तक उनका संबंध सैनिक इंजीनियरी सेवा में आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सैनिक इंजीनियरी सेवा में आशुलिपिक श्रेणी-II और आशुलिपिक श्रेणी-III के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियरी सेवा (आशुलिपिक श्रेणी-II और श्रेणी-III) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .**— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. 1. पद का नाम	:	आशुलिपिक श्रेणी-II
2. पदों की संख्या	:	213* (वर्ष 2002 के लिए) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय।
4. वेतनमान	:	5000-150-8000 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	अचयन
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं होता

7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	लागू नहीं होता
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	नहीं
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं होता
11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा	:	**प्रोन्नति :** ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-III जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार राज्य के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-III जिसने 4000—6000/- रु. की श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	:	**प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :** 1. मुख्य इंजीनियर या उसका नाम निर्देशिती किन्तु वह अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से कम का नहीं हो —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य —सदस्य 3. समूह "क" सिविलियन राजपत्रित अधिकारी या कमीशण्ड अधिकारी जो विभाग से संबंधित नहीं हो —सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	:	लागू नहीं होता

2. 1. : आशुलिपिक श्रेणी-III

2. : 213*
(वर्ष 2002 के लिए)
* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय

4. : 4000-100-6000 रु.

5. : लागू नहीं होता

6. : 18 से 25 वर्ष

सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

रोजगार कार्यालयों, रोजगार समाचार अन्य विज्ञापन माध्यम में विज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7. : लागू नहीं होता

8. : (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य; और

(ii) अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो, प्रयोजन के लिए विहित समय में टाइपराइटर पर किए गए सीधे प्रति लेखन में अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

9. : लागू नहीं होता

10. : दो वर्ष

11. : 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

12. : लागू नहीं होता

टिप्पण : इन नियमों की घोषणा की तारीख पर विद्यमान अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक पुराने नियमों के अनुसरण में जब तक वह प्रोन्नति या सेवा निवृत्त न हो प्रोन्नति के लिए पात्र बना रहेगा।

13. : लागू नहीं होता

14. : लागू नहीं होता।

[बी/76005/आर आर/स्टेनो ग्रेड-I एंड ग्रेड-II/सीएससीसी/830/रक्षा(नि.)]

आर. के. शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2004

S.R.O. 65.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of Ministry of Defence (Stenographer) Recruitment Rules, 1979 and Army (Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the posts of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III of Military Engineer Services, except in respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the Military Engineer Services, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Military Engineer Services (Stenographers Grade II and Grade III), Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Scales of Pay.** —The number of said posts, their classification and the scales of the pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, Educational and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1. 1. Name of the post	:	Stenographer Grade II
2. Number of posts	:	213* (For year 2002) * Subject to variation dependent on workload/cadre review
3. Classification	:	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 5000-150-8000
5. Whether selection or non-selection post	:	Non-selection
6. Age limit for direct recruit	:	Not applicable
7. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	:	No
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	:	Not applicable
9. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	:	No
10. Period of probation, if any	:	Not applicable
11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by or deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	:	100% by Promotion failing which by deputation
12. In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	:	**Promotion :** Stenographer Grade III with eight years of regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who are already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central/State Government :— (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) stenographer Gde III with eight years regular service in the grade of Rs. 4000—6000.

1346 GI/04 -5

13. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	:	**Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion :—** (i) Chief Engineer or his nominee, but not less than the rank of Superintending Engineer or equivalent —Chairman (ii) Executive Engineer or equivalent —Member (iii) Group 'A' Civilian Gazetted Officer or a Commissioned Officer not connected with the department —Member
14. Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	:	Not applicable.

2. 1. : Stenographer Grade III

2. : 213* (For year 2002)

* Subject to variation dependent on workload/cadre review.

3. : General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial

4. : Rs. 4000-100-6000

5. : Not applicable

6. : 18 to 25 years

Note 1 :—Relaxable for Government Servants up to 35 years of age.

Note 2 :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 3 : In respect of the posts, appointment to which are made through Employment Exchanges/ Advertisements in "Employment News"/other advertising media, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names or last date of receipt of application given in the "Employment News"/other advertising media.

7. : Not applicable

8. : (i) Matriculation or equivalent, and

(ii) Must possesses a speed of 80 words per minute in stenography either in English or in Hindi to be transcribed on a typewriter within the time prescribed for the purpose.

9. : Not applicable

10. : Two years

11. : 100% by direct recruitment

12. : Not applicable

Note : The existing Lower Division Clerks and Upper Division Clerks, as on the date of promulgation of these rules, shall continue to be eligible for promotion in accordance with the old rules, till they are promoted or retired.

13. : Not applicable

14. : Not applicable.

[B/76005/RR/Steno Gde I & Gde II/CSCC/830/D(Appts)]

R. K. SHARMA, Under Secy.